केन्द्र प्रायोजित योजना ''एकीकृत बागवानी विकास मिशन'' की उपयोजना ''राष्ट्रीय बागवानी मिशन'' अन्तर्गत फूल की खेती (गेंदा) योजना से संबंधित कार्यान्वयन अनुदेश (2024–25)

केन्द्र प्रायोजित योजना "एकीकृत बागवानी विकास मिशन" की उपयोजना "राष्ट्रीय बागवानी मिशन" (60:40) अन्तर्गत खुले फूल की खेती (गेंदा) योजना का वित्तीय वर्ष 2024–25 में कार्यान्वयन हेतु कुल 640.800 लाख (छः करोड़ चालीस लाख अस्सी हजार) रूपये मात्र जिसमें केन्द्रांश 222.480 लाख (दो करोड़ बाईस लाख अड़तालीस हजार) रूपये एवं समानुपातिक राज्यांश 148.320 लाख (एक करोड़ अड़तालीस लाख बत्तीस हजार) रूपये तथा राज्य योजना मद से अतिरिक्त टॉप–अप 270.00 लाख (दो करोड़ सत्तर लाख) रूपये मात्र की लागत पर स्वीकृत्यादेश संख्या–48 दिनांक 30.03.2024 के द्वारा योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्राप्त है। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के 23 जिलों यथा–अररिया, औरंगाबाद, बाँका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, पटना, पूर्णियाँ, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर एवं वैशाली में स्वीकृत्यादेश के अनुसूची–1, 2 एवं 3 के अनुसार किया जाना है।

योजनान्तर्गत स्वीकृत घटकवार वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु कार्यान्वयन अनुदेश निम्नवत है :–

1. योजनान्तर्गत किसानों को खुले फूल की खेती हेतु गेंदा फूल के पौध अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जायेगा। खुले फूल की खेती हेतु इकाई लागत 40,000/- रूपये प्रति हेक्टेयर स्वीकृत है। जिस पर किसानों को 70 प्रतिशत अनुदान (40 प्रतिशत एम.आई.डी.एच. मार्गदर्शिका के अनुसार + 30 प्रतिशत अतिरिक्त टॉप–अप) अर्थात् प्रति हेक्टेयर 28,000/– रू० अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा जिसके अन्तर्गत गेंदा फूल के पौध दिया जाना सम्मिलित है। योजना को खरीफ, रबी एवं जायद तीनों मौसम में किसानों के आवेदन के अनुरूप कार्यान्वयन कराया जायेगा।
2. योजना का लाभ DBT Portal पर पंजीकृत इच्छुक किसानों को ऑनलाईन आवेदन के माध्यम से **'पहले आओ पहले पाओ'** के आधार पर दिया जायेगा।
3. भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश मद की राशि की विमुक्ति के पश्चात् ही समानुपातिक राज्यांश एवं अतिरिक्त टॉप–अप के साथ स्वीकृति राशि का आवंटन एवं निकासी की जायेगी।
4. योजना संचालन हेतु पौधों का उत्पादन स्वीकृत दर पर उद्यान निदेशालय के अधीन मॉडल फ्लोरीकल्चर सेन्टर/सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस एवं विभाग द्वारा बनाये गये प्लग टाईप नर्सरी के द्वारा किया जाएगा। कृषक के द्वारा अपने पसंद के गेंदा के किस्म लगाने के लिए उस जिले से संबंद्धित प्लग टाईप नर्सरियों में किसान के द्वारा बीज उपलब्ध कराने पर मॉडल फ्लोरीकल्चर के द्वारा पौध उत्पादन कर संबंधित किसान को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. योजनान्तर्गत राशि बजट में उपबंधित अनुपात के स्थान पर सामान्य वर्ग के लिए 78.67 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 19.90 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1.43 प्रतिशत अनुपात अनुरूप व्यय निर्धारित है। सभी श्रेणी के लाभुकों में 30 (तीस) प्रतिशत महिला कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

6. कृषि विभाग द्वारा स्वीकृति वार्षिक कार्ययोजना के अनुरूप केन्द्रांश की राशि एवं समानुपातिक राज्यांश तथा अतिरिक्त टॉप–अप की राशि ट्रेजरी मोड में वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप निदेशक उद्यान, बिहार को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि विभाग द्वारा आवंटित केन्द्रांश की राशि एवं समानुपातिक राज्यांश की राशि मिशन निदेशक, बिहार बागवानी विकास सोसाईटी के SNA खाता में जमा की जायेगी। अतिरिक्त टॉप–अप की राशि निदेशक उद्यान, बिहार द्वारा सचिवालय कोषागार से निकासी कर बिहार हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाईटी एम.आई.डी.एच. एन.एच.एम. टॉप अप के खाता में जमा की जायेगी। मिशन निदेशक के द्वारा केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश राशि को जिला के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप PFMS के द्वारा एवं अतिरिक्त टॉप–अप की राशि को RTGS/NEFT के द्वारा संबंधित जिला के जिला बागवानी विकास समिति को उपलब्ध करायी जायेगी।
7. योजनान्तर्गत आय–व्यय की लेखा संधारण में PFMS के EAT Module का उपयोग किया जा रहा है।
8. **<u>योजनान्तर्गत लाभुक चयन हेतु कृषक की पात्रता एवं प्रक्रिया</u>** :–
   - **(i)** इस योजना अन्तर्गत लाभ लेने हेतु कृषकों को सर्वप्रथम कृषि विभाग के डी.बी.टी. वेबसाईट के एम.आई.एस. पोर्टल http://dbtagriculture.bihar.gov.in जो कि कृषि विभाग के Website krishi.bih.nic.in से भी Linked है, पर पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
   - **(ii)** डी.बी.टी. पोर्टल पर पंजीकृत होने के पश्चात् कृषक को प्राप्त Unique I.D. के आधार पर Online आवेदन किया जा सकेगा।
   - (i) इस योजना का लाभ किसी भी परिवार के एक सदस्य को एक बार ही दी जायेगी। वैसे किसान जिन्होंने पिछले तीन वर्षों (2021–22, 2022–23 एवं 2023–24) में योजना का लाभ लिया है उन्हें इस वर्ष योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
   - (ii) वैसे कृषकों का चयन किया जा सकता है, जो वास्तविक खेतहर हों, जिसके पास उनके नाम से भूमि उपलब्ध हो या उनके पास पारिवारिक भूमि उपलब्ध हो। पारिवारिक भूमि होने के स्थिति में अंचल अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा वंशावली निर्गत करने हेतु प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा निर्गत वंशावली प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। गैर रैयत किसान अद्यतन एकरारनामा के आधार पर योजना का लाभ ले सकते हैं।
9. **<u>आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजात</u>** :–
   - (iii) कृषक को योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड/वोटर आई.डी. कार्ड या अन्य कोई वैसा वैधानिक पहचान पत्र जिससे यह साबित हो सके कि कृषक आवेदित स्थल के निवासी है, को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   - (iv) आवेदक के नाम से स्वयं की भूमि रहने की स्थिति में आवेदित भूमि का पिछले तीन वर्षों (2021–22, 2022–23 एवं 2023–24) का LPC या स्वहस्ताक्षरित अद्यतन रसीद में से कोई एक साक्ष्य संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   - (v) आवेदक के पारिवारिक भूमि उपलब्ध रहने की स्थिति में LPC या अद्यतन Online रसीद में से कोई एक साक्ष्य के साथ–साथ अंचलाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा वंशावली निर्गत करने हेतु प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा निर्गत वंशावली प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य।

(vi) आवेदक के नाम से स्वयं की भूमि नहीं रहने की स्थिति में अद्यतन एकरारनामा के आधार पर योजना का लाभ आवेदकों को दिया जा सकता है। एकरारनामा की प्रति उद्यान निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड है।

10. **सत्यापन** :– चयनित कृषकों द्वारा स्वीकृति पत्र प्राप्ति उपरान्त निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य का सम्पादन कर कार्यालय को प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के माध्यम से सूचित करेंगे। प्रखंड उद्यान पदाधिकारी एक सप्ताह (7 दिन) के अन्दर सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे। कार्यक्रम स्थल का संबंधित सत्यापनकर्त्ता कर्मी एवं लाभुक के साथ जियोटैग्ड सेल्फी फोटोग्राफी कराना तथा सत्यापन प्रतिवेदन ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कराना अनिवार्य होगा। कार्यादेश के आलोक में 30 दिनों के अन्दर कार्य नहीं किये जाने के स्थिति में संबंधित सहायक निदेशक उद्यान कृषकों को सूचित करने के उपरांत निर्गत कार्यादेश को निरस्त कर सूची अनुसार पहले आओ पहले पाओ के आलोक में पुनः कार्यादेश निर्गत करेगें।

11. **अनुश्रवण** :– जिला स्तर पर सहायक निदेशक उद्यान, प्रमण्डल स्तर पर उप निदेशक उद्यान एवं राज्य स्तर पर संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी/मिशन निदेशक, बिहार बागवानी विकास सोसाईटी द्वारा कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जायेगा।

12. **पदेन कर्त्तव्य एवं दायित्व** :–

(i) **प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी** :– योजनाओं के संबंध में कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कृषकों के बीच प्रचार–प्रसार करना। अपने–अपने कार्यक्षेत्रों में इच्छुक कृषकों का चयन निर्धारित मापदंड के अनुसार करना। प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के द्वारा योजनाओं का शत–प्रतिशत जाँच किया जायेगा।

(ii) **सहायक निदेशक उद्यान** :– योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु कार्यशाला, जागरूकता अभियान इत्यादि का आयोजन किया जायेगा। प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी को संबंधित प्रखण्ड/पंचायत हेतु लक्ष्य उपलब्ध करना तथा उस लक्ष्य के विरूद्ध लक्ष्य प्राप्ति का समीक्षा करेंगे। दिए गए निर्देश के आलोक में अनुमान्य अनुदान ससमय भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। योजना के प्रगति का समीक्षा प्रत्येक 15 दिनों पर करना तथा प्रगति प्रतिवेदन एवं व्यय की गई राशि की जानकारी प्रमण्डलीय उप निदेशक उद्यान तथा उद्यान निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा। सहायक निदेशक उद्यान के द्वारा योजना का प्रचार–प्रसार पंचायत स्तर तक किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक एवं प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के माध्यम से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही प्रखण्ड, जिला एवं प्रमण्डल स्तर पर अयोजित कर्मशाला में योजना की जानकारी कृषकों को दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) **प्रमण्डलीय उप निदेशक उद्यान** :– प्रमण्डल स्तर पर योजना के प्रगति का पर्यवेक्षण एवं समीक्षा करना एवं मिशन मुख्यालय को संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराना होगा। प्रमंडलीय कर्मशाला का आयोजन कर योजना की जानकारी प्रमंडल के सभी जिलों के प्रगतिशील किसानों को दिया जायेगा।

(iv) **योजना के नोडल पदाधिकारी** :– संबंधित जिलों से सम्पर्क कर शत प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हेतु योजना के अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन से मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार को समय–समय पर अवगत करायेंगे।

(v) <u>जिला पदाधिकारी –सह– अध्यक्ष, जिला बागवानी विकास समिति</u> :– जिला पदाधिकारी अपने जिला में इस कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालन में मदद एवं योजना की शत प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त हेतु लगातार अनुश्रवण करेंगे।

(vi) **<u>निदेशक उद्यान</u>** :– राज्य स्तर पर योजना की समीक्षा, पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण करते हुए सफल कार्यान्वयन हेतु समय–समय पर आवश्यक निदेश एवं मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

13. योजना का निरीक्षण :–

क्र० सं०	कर्मचारी / पदाधिकारी	निरीक्षण का कार्य
1	प्रखंड उद्यान पदाधिकारी	अपने–अपने प्रखंड में शत–प्रतिशत (100 प्रतिशत) कार्यान्वित योजनाओं का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन सहायक निदेशक उद्यान को उपलब्ध कराया जायेगा।
2	सहायक निदेशक उद्यान	कार्यान्वित योजना का 10 प्रतिशत निरीक्षण का कार्य किया जायेगा।
3	प्रमंडलीय उप निदेशक उद्यान	कार्यान्वित योजना का 5 प्रतिशत निरीक्षण का कार्य किया जायेगा।
4	मुख्यालय स्तर पर पदस्थापित पदाधिकारी / नोडल पदाधिकारी	कार्यान्वित योजना का 1 प्रतिशत निरीक्षण का कार्य किया जायेगा।

14. <u>योजना का प्रगति प्रतिवेदन</u> :– सहायक निदेशक उद्यान द्वारा इस कार्यक्रम का प्रगति प्रतिवेदन एवं व्यय की गयी राशि को राज्य बागवानी मिशन द्वारा उपलब्ध कराये गये सॉफ्टवेयर पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जायेगा। प्रगति प्रतिवेदन एवं व्यय की गयी राशि को सॉफ्टवेयर पर समय–समय अपलोड करने में सहायक निदेशक उद्यान सुनिश्चित करेंगे कि अवयववार व्यय की गयी राशि एवं जिले का कुल व्यय की गयी राशि (रोकड़ पंजी या अन्य अभिलेख के अनुसार) एक समान सॉफ्टवेयर पर परिलक्षित हो।

निदेशक उद्यान, बिहार।

102

Annexure-1

वित्तीय वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एम.आई.डी.एच.) अन्तर्गत खुले फूल की खेती योजना का वार्षिक कार्य योजना

Sl. No.	Component	Unit Cost (in Lakh)	Subsidy % age	Unit Subsidy Cost	Physical Target (in nos.)	Financial Target (in Lakh)			
						Central Share	State Share	Additional TOP UP	Total
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	खुले फूल								
i)	गेंदा एवं अन्य खुले फूल	0.40/hec.	70	0.28/hec.	2250	216.000	144.000	270.000	630.000
	Total				**2250**	**216.000**	**144.000**	**270.000**	**630.000**
	Mission Management @3%					6.48000	4.32000		**10.8000**
					Grand Total	**222.48000**	**148.32000**	**270.00000**	**640.800**

सहायक निदेशक उद्यान (योजना)
उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना।

अभिषेक कुमार
निदेशक उद्यान
बिहार, पटना

23:02.2024

अनुसूची–3

वित्तीय वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना (एम०आई०डी०एच०) अन्तर्गत गेंदा एवं खुले फूल की खेती योजना के तहत जिलावार एवं श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण मिशन प्रबंधन सहित (लाख रू० में)।

(भौतिक हे०/सं० में वित्तीय लाख रू० में)

क्र० सं०	जिला का नाम	केन्द्रांश				राज्यांश				टॉप–अप				कुल योग
		सामान्य जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	सामान्य जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	सामान्य जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	
1	अररिया	3.021	0.764	0.055	3.840	2.014	0.509	0.037	2.560	3.776	0.955	0.069	4.800	11.200
2	औरंगाबाद	7.552	1.910	0.137	9.600	5.035	1.274	0.092	6.400	9.440	2.388	0.172	12.000	28.000
3	बाँका	3.776	0.955	0.069	4.800	2.517	0.637	0.046	3.200	4.720	1.194	0.086	6.000	14.000
4	बेगूसराय	3.776	0.955	0.069	4.800	2.517	0.637	0.046	3.200	4.720	1.194	0.086	6.000	14.000
5	भागलपुर	11.328	2.866	0.206	14.400	7.552	1.910	0.137	9.600	14.161	3.582	0.257	18.000	42.000
6	दरभंगा	7.552	1.910	0.137	9.600	5.035	1.274	0.092	6.400	9.440	2.388	0.172	12.000	28.000
7	गया	11.328	2.866	0.206	14.400	7.552	1.910	0.137	9.600	14.161	3.582	0.257	18.000	42.000
8	जमुई	4.531	1.146	0.082	5.760	3.021	0.764	0.055	3.840	5.664	1.433	0.103	7.200	16.800
9	कटिहार	4.531	1.146	0.082	5.760	3.021	0.764	0.055	3.840	5.664	1.433	0.103	7.200	16.800
10	खगड़िया	3.021	0.764	0.055	3.840	2.014	0.509	0.037	2.560	3.776	0.955	0.069	4.800	11.200
11	किशनगंज	3.021	0.764	0.055	3.840	2.014	0.509	0.037	2.560	3.776	0.955	0.069	4.800	11.200
12	मधुबनी	5.664	1.433	0.103	7.200	3.776	0.955	0.069	4.800	7.080	1.791	0.129	9.000	21.000
13	मुंगेर	3.776	0.955	0.069	4.800	2.517	0.637	0.046	3.200	4.720	1.194	0.086	6.000	14.000
14	मुजफ्फरपुर	11.328	2.866	0.206	14.400	7.552	1.910	0.137	9.600	14.161	3.582	0.257	18.000	42.000
15	नालन्दा	5.664	1.433	0.103	7.200	3.776	0.955	0.069	4.800	7.080	1.791	0.129	9.000	21.000
16	पश्चिमी चम्पारण	13.594	3.439	0.247	17.280	9.063	2.292	0.165	11.520	16.993	4.298	0.309	21.600	50.400
17	पटना	18.881	4.776	0.343	24.000	12.587	3.184	0.229	16.000	23.601	5.970	0.429	30.000	70.000
18	पूर्वी चम्पारण	9.063	2.292	0.165	11.520	6.042	1.528	0.110	7.680	11.328	2.866	0.206	14.400	33.600
19	पूर्णियाँ	4.531	1.146	0.082	5.760	3.021	0.764	0.055	3.840	5.664	1.433	0.103	7.200	16.800
20	रोहतास	4.531	1.146	0.082	5.760	3.021	0.764	0.055	3.840	5.664	1.433	0.103	7.200	16.800
21	सहरसा	2.266	0.573	0.041	2.880	1.510	0.382	0.027	1.920	2.832	0.716	0.051	3.600	8.400
22	समस्तीपुर	13.594	3.439	0.247	17.280	9.063	2.292	0.165	11.520	16.993	4.298	0.309	21.600	50.400
23	वैशाली	13.594	3.439	0.247	17.280	9.063	2.292	0.165	11.520	16.993	4.298	0.309	21.600	50.400
24	मुख्यालय	5.098	1.290	0.093	6.480	3.399	0.860	0.062	4.320	0.000	0.000	0.000	0.000	10.800
	Total	**175.025**	**44.274**	**3.181**	**222.480**	**116.683**	**29.516**	**2.121**	**148.320**	**212.409**	**53.730**	**3.861**	**270.000**	**640.800**

सहायक निदेशक उद्यान (योजना)
उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना।

नितेश कुमार राय
उप निदेशक उद्यान (योजना)
उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना

अभिषेक कुमार
निदेशक उद्यान
बिहार पटना

अनुसूची–2

वित्तीय वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना (एम०आई०डी०एच०) अन्तर्गत गेंदा एवं खुले फूल की खेती योजना अन्तर्गत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी।

(भौतिक हे०/सं० में वित्तीय लाख रू० में)

क्र० सं०	जिला का नाम	भौतिक	वित्तीय			
			केन्द्रांश	राज्यांश	टॉप–अप	कुल
1	अररिया	40	3.840	2.560	4.800	11.200
2	औरंगाबाद	100	9.600	6.400	12.000	28.000
3	बाँका	50	4.800	3.200	6.000	14.000
4	बेगूसराय	50	4.800	3.200	6.000	14.000
5	भागलपुर	150	14.400	9.600	18.000	42.000
6	दरभंगा	100	9.600	6.400	12.000	28.000
7	गया	150	14.400	9.600	18.000	42.000
8	जमुई	60	5.760	3.840	7.200	16.800
9	कटिहार	60	5.760	3.840	7.200	16.800
10	खगड़िया	40	3.840	2.560	4.800	11.200
11	किशनगंज	40	3.840	2.560	4.800	11.200
12	मधुबनी	75	7.200	4.800	9.000	21.000
13	मुंगेर	50	4.800	3.200	6.000	14.000
14	मुजफ्फरपुर	150	14.400	9.600	18.000	42.000
15	नालन्दा	75	7.200	4.800	9.000	21.000
16	पश्चिमी चम्पारण	180	17.280	11.520	21.600	50.400
17	पटना	250	24.000	16.000	30.000	70.000
18	पूर्वी चम्पारण	120	11.520	7.680	14.400	33.600
19	पूर्णियाँ	60	5.760	3.840	7.200	16.800
20	रोहतास	60	5.760	3.840	7.200	16.800
21	सहरसा	30	2.880	1.920	3.600	8.400
22	समस्तीपुर	180	17.280	11.520	21.600	50.400
23	वैशाली	180	17.280	11.520	21.600	50.400
24	मुख्यालय		6.480	4.320		10.800
	Total	**2250**	**222.480**	**148.320**	**270.000**	**640.80000**

सहायक निदेशक उद्यान (योजना)
उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना।

नितेश कुमार राय
उप निदेशक उद्यान (योजना)
उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना

अभिषेक कुमार
निदेशक उद्यान
बिहार, पटना